न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–196/2024

बृजेश प्रसाद साह उर्फ ईश्वरी साह .....वादी

बनाम

साहेब साह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
18.03.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादी की तरफ से एक आवेदन दिनांक 20.01.2026 अंदर आदेश 26 नियम 09 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया है, जिसका प्रतिउत्तर प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 24.02.2026 को दाखिल किया गया। वादी का आवेदन दिनांक 20.01.2026 आज दिनांक 18.03.2026 को आदेश हेतु नियत है। वादी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि वादी ने वादपत्र के मद सं0–02 में दी गई भूमि पर अपने हकियत की घोषणा, दखल–कब्जा की संपुष्टि के साथ–साथ स्थाई वो अस्थाई निषेधाज्ञा के साथ–साथ अन्य अनुतोष हेतु दाखिल किया है। वादग्रस्त भूमि मुदई की खरीदगी भूमि है, जिसपर मुदई बहैसियत मालिक सोलह आन्ना के दखल–कब्जा में रहते हुए 02 पक्का वो एजवेस्टर का मकान वो बगल में टीन सेड वो अन्य भाग सहन के रूप में प्रयोग करते आ रहे है। इधर मुदालहम उपरोक्त वाद की जानकारी रखते हुए उपस्थिति नहीं हो रहे है लेकिन वादग्रस्त भूमि से मुदई को बेदखल करने का बलपूर्वक प्रयास कर रहे है वो कभी भी बलपूर्वक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति परिवर्तित करने पर अमादे हैं लेहाजा अधिवक्ता आयुक्त की बहाली कर वादग्रस्त भूमि का वर्तमान यथास्थिति का प्रतिवेदन फोटोग्राफ के साथ माँग लिया जाए ताकि न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति आ सके। वादग्रस्त भूमि न्यायालय परिसर के करीब 4 किलोमिटर की दुरी पर अवस्थित है वो वहाँ जाने के लिए उचित सड़क मार्ग उपलब्ध है। वादी अधिवक्ता आयुक्त का उचित खर्च वहन करने को तैयार है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अधिवक्ता आयुक्त की बहाली करते हुए वादग्रस्त भूमि मुन्दर्जे मद सं0–02 अर्जी नालिश के संदर्भ में फोटोग्राफ के साथ आवेदनानुसार प्रतिवेदन देने का आदेश देने की कृपा प्रदान की जाए। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 24.02.2026 को दाखिल किया गया एवं निवेदन किया गया कि वादी की ओर से दाखिल आवेदन तथ्य वो कानून के नजर में पोषणीय नहीं है लेहाजा खारिज होने योग्य है। वादी का उपरोक्त आवेदन सत्यापित नहीं है वो ना ही शपथ पत्र द्वारा सत्यापित है। वादी ने अपने	

<u>न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–196/2024</u>

बृजेश प्रसाद साह उर्फ ईश्वरी साह .....वादी

बनाम

साहेब साह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 18.03.2026	आवेदन के पारा नं0–02 में वादग्रस्त भूमि के अंश भाग पर पक्का वो एस्बेस्टस का मकान वो बगल में टीन शेड वो अन्य भाग सहन के रूप में वादी का दखल–कब्जा होने का जो ब्यान किया है वो प्रतिवादीगण द्वारा बलपूर्व वादी को बेदखल करने वो वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति में परिवर्तन करने का जो ब्यान किया है वो सरासर गलत, झूठ वो बनावटी है। असल में वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का हकियत वो दखल–कब्जा कायम है वो प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर पक्का एसबेस्टस का मकान वो टीन सेड वो अंश भाग पर सहन के रूप में दखल–कब्जा में चले आ रहे है। वादग्रस्त भूमि कभी भी वादी द्वारा खरीद वो हासिल नहीं किया गया। वादग्रस्त भूमि की वस्तु स्थिति की जानकारी वाद दाखिल करने के पूर्व से ही वादी को है परन्तु वादी ने प्रतिवादीगण पर नजायज तरीके से अनावश्यक दबाव बनाने हेतु यह आवेदन पत्र दाखिल किया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी का आवेदन विशेष खर्चे के साथ खारिज करने की कृपा प्रदान करें। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया तथा अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी के द्वारा एक आवेदन दिनांक 20.01.2026 को अंदर आदेश 26 नियम 09 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया एवं निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि मुदई की खरीदगी भूमि है, जिसपर मुदई बहैसियत मालिक सोलह आन्ना के दखल–कब्जा में रहते हुए 02 पक्का वो एस्बेस्टस का मकान वो बगल में टीन सेड वो अन्य भाग सहन के रूप में प्रयोग करते आ रहे है। इधर मुदालहम उपरोक्त वाद की जानकारी रखते हुए उपस्थिति नहीं हो रहे है लेकिन वादग्रस्त भूमि से मुदई को बेदखल करने का बलपूर्वक प्रयास कर रहे है वो कभी भी बलपूर्वक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति परिवर्तित करने पर अमादे हैं लेहाजा अधिवक्ता आयुक्त की बहाली कर वादग्रस्त भूमि का वर्तमान यथास्थिति का प्रतिवेदन फोटोग्राफ के साथ माँग लिया जाए ताकि न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति आ सके। दूसरी तरफ प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक 24.02.2026 में निवेदन किया गया कि वादी की ओर से दाखिल आवेदन तथ्य वो कानून की नजर में पोषणीय नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी का आवेदन खारिज करने की कृपा करें। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि वाद लंबन के दौरान वादग्रस्त भूमि का	

<u>न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–196/2024</u>

बृजेश प्रसाद साह उर्फ ईश्वरी साह .....वादी

बनाम

साहेब साह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार **18.03.2026**	संरक्षक न्यायालय होता है तथा न्यायालय का कार्य वादग्रस्त भूमि का वाद लंबन के दौरान संरक्षण करना होता है। अतः ऐसी दशा में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान में वस्तु स्थिति क्या है, इस संबंध में अधिवक्ता आयुक्त से प्रतिवेदन की माँग किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का आवेदन दिनांक 20.01.2026 को स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार व्यवहार न्यायालय, नरकटियागंज के स्थानीय विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक कुमार को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें आदेशित किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि की वस्तु स्थिति के संबंध में आवेदन में वर्णित तथ्यों पर फोटोग्राफ्स के साथ प्रतिवेदन समर्पित करें। अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के मद में होने वाला व्यय मो0–3000/– रूपये वादी के द्वारा वहन किया जायेगा। वाद दिनांक 30.03.2026 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। (लेखापित) अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	